राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः–एफ.2( )बजट/मा.स./आईसीडीएस/18/125672-704 जयपुर, दि0 6-7-18

समस्त उपनिदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाऐं,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 का मासिक व्ययों को निर्धारित अनुपात में व्यय करने के संबंध में।

संदर्भः– विभाग का पत्र क्रमांक 60952–1286 दि. 17.04.2018 एवं 73294–630 दि. 01.05.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विभिन्न मदों में व्ययों को निर्धारित अनुपात में ही व्यय करने हेतु निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेंः–

1 संवेतन मद अंतर्गत जिला स्तर पर उपनिदेशक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी, परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक एवं पर्यवेक्षक केन्द्रीय सहायता 25 प्रतिशत एवं राज्य निधि 75 प्रतिशत के अनुपात में व्यय किया जाकर मासिक व्यय विवरण के परिशिष्ट अ मे दर्शाया जाये। इसके अतिरिक्त शेष पद राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं परियोजना कार्यालयों में स्वीकृत राज्य निधि 100 प्रतिशत के अनुपात में व्यय किया जाकर मासिक व्यय विवरण के परिशिष्ट ब मे दर्शाया जाये।

2 यात्रा व्यय एवं चिकित्सा व्यय मद अंतर्गत केन्द्रीय सहायता 25 प्रतिशत एवं राज्य निधि 75 प्रतिशत के अनुपात में व्यय किया जाकर मासिक व्यय विवरण के परिशिष्ट अ मे दर्शाया जाये।

3 किराया आंगनबाडी, वाहन संधारण, वाहन किराया केन्द्रीय सहायता 60 प्रतिशत एवं राज्य निधि 40 प्रतिशत के अनुपात में व्यय किया जाकर मासिक व्यय विवरण के परिशिष्ट अ मे दर्शाया जाये।

4 कार्यालय व्यय–आर्वतक, किराया कार्यालय, वर्दी व्यय मद अंतर्गत राज्य निधि 100 प्रतिशत के अनुपात में व्यय किया जाकर मासिक व्यय विवरण के परिशिष्ट अ मे दर्शाया जाये।

5 लेब टेस्ट, गरम पूरक पोषाहार, आरटीआई एसएचजी मद अंतर्गत केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत एवं राज्य निधि 50 प्रतिशत के अनुपात में व्यय किया जाकर मासिक व्यय विवरण के परिशिष्ट अ मे दर्शाया जाये।

6 आवंटित राशि का उपयोग उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि पूर्व में निर्धारित अनुपात में व्यय नहीं किया गया है तो आगामी व्ययों को करते समय इसका समायोजन करते हुए व्ययों का किया जाना सुनिश्यित करें।

.....2.

7 प्रायः यह देखा गया है कि विभाग के निर्देशों के उपरांत भी मासिक व्यय विवरण निर्धारित तिथि तक जिला कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी के साथ नहीं भिजवाया जाकर, अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों के अन्य कार्मिकों के साथ प्रेषित कर दिये जाते है, जिसके कारण किसी भी व्यय के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर, उनके द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की जाती है, जो उचित नहीं है। अतः मासिक व्यय विवरण आगामी माह की 5 तारीख तक, आईएफएमएस से मिलान उपरांत संकलित सूचना मय भुगतान स्थिति के कार्यालय के लेखाकर्मी के साथ आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। यदि अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथि के पश्चात सूचनाऐं प्रेषित की जाती है, जो पत्र में विलम्ब के उचित कारण का उल्लेख किया जावें अन्यथा स्थिति में सूचना स्वीकार नहीं की जावेगी। इसके लिए जिला कार्यालय के लेखाकर्मी को उत्तरदायी माना जावेगा।

8 राजस्व व्यय–(1) अवशेष राशि के संबंध में (2) अधिक अदायगी की वसूलियां/पूंजी व्यय के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 3.7.2018 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आवंटित की गई राशि का उपयोग संदर्भित पत्रों में अंकित/आवंटित मैचिंग शेयर के अनुपात, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों व निर्धारित मानदण्डो (नार्म्स) के अनुसार नियमानुसार किया जावे।

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.2( )बजट/मा.व्यय/आईसीडीएस/17/125705-6009 जयपुर, दि0 6-7-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त)
2 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार